

परिशिष्ट – क VIII

कासगंज जं० एवं बधारी कला स्टेशनों के मध्य स्थित इन्जी. समपार फाटक सं. 248 श्रेणी 'सी' के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण
- 1.1 सामान्य –
 - (1) समपार फाटक की संख्या : 248 श्रेणी : सी
 - (2) इंजीनियरिंग/यातायात फाटक : इंजीनियरिंग
 - (3) अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक : सीसेई (रेल पथ)/कासगंज जं०
 - (4) किलोमीटर पर स्थित : 241/1-2
 - (5) स्टेशन कासगंज जं०
 - (6) स्टेशन मध्य : कासगंज जं० एवं बधारी कला
 - (7) बी०जी०/एम०जी०/एन०जी० : बी.जी.
 - (8) इकहरी/दोहरी/मिश्रित : इकहरी
 - (9) सामान्य स्थिति : सड़क यातायात के लिए खुला
 - (10) इण्टरलाकड/नानइण्टरलाकड : नान इण्टरलॉक
 - (11) इण्टरलाकिंग का प्रकार : _____
 - (12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर
 - (i) डाउन लाइन : _____
 - (ii) अप लाइन : _____
 - (13) संकेतन व्यवस्था : _____
 - (14) संचार साधन टेलिफोन/घंटी : टेलीफोन स्टेमा/ कासगंज जं० से सम्बद्ध
 - (15) समपार फाटक की चौड़ाई : 5.50 मीटर
 - (16) सड़क का प्रकार (एन०एच०/एस०एच०/अन्य) : BITUMIN/अन्य
 - (17) सड़क का नाम : हनौटा—कासगंज
 - (18) पक्का/कच्चा : पक्का

- (19) पहुँच मार्ग : कासगंज
- (20) सड़क की चौड़ाई : 3.00 मीटर
- (21) सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) : —
- (22) सड़क का ढाल यदि कोई हो
- (i) उत्तर से पूर्व की तरफ : एल 1 : 025
- (ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ : आर 1 : 030
- (23) सड़क की चौड़ाई (सीधा/गोलाई)
- (i) उत्तर से पूर्व की तरफ : सीधा
- (ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ : सीधा
- (24) 'हाइट गेज का प्राविधान' : नहीं
- (25) बैरियर का प्रकार : लिफिटिंग बैरियर
- (26) चेक रेल की लम्बाई : 7.50 मीटर
- (27) समपार के मध्य सड़क का सतह : Paver
- (28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई : 27.00 मीटर
- (29) रोड साइन : उपलब्ध
- (30) गति अवरोधक बोर्ड : उपलब्ध
- (31) टी0वी0यू0 : 1206 अक्टूबर 2011
- (32) अगली गणना की तिथि : 2014
- (33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान : हैं
- (34) गेटमैनो की संख्या : दो
- (35) निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र : कासगंज जं0
- (36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की
उपलब्धता यदि कोई हो : कासगंज जं0
- (37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हों/नहीं : हों

1.2 उपकरण –

(1) हाथ सिगनल बत्ती (K. Oil) / लाल फ्लैशिंग टार्च	03
(2) हरी हाथ झंडी	01
(3) लाल हाथ झंडी	03
(4) बैनर फ्लैग लाल	03
(5) लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
(6) तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
(7) पटाखा सिगनल	10
(8) ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प (बैट्री लिट)	01
(9) गेट लैम्प	02
(10) टोमीवार	01
(11) मोर्टार पैन (तसला)	01
(12) फावड़ा / बेलचा	01
(13) दुर्मुठ	01
(14) पिक एक्स	01
(15) टिन केस झंडी के लिए	01
(16) कैन मिटटी के तेल हेतु	01
(17) बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
(18) टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
(19) चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
(20) गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
(21) टोकरी	01
(22) सीटी (Thunder Whistle)	01
(23) दीवार घड़ी	01
(24) छोटी चेन व पैडलॉक (बूम लॉकिंग हेतु)	02

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
- (4) डियूटी रोस्टर।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। गाड़ियों के संचालन के दौरान समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गई निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में सिमटी हुई लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हुई हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक, सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती/लाल पलैशिंग टार्च निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुई ट्रेन का प्रेक्षण करेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
- (v) गेट मैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे— हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त संरक्षा चेन, डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

- यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा।
- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा।
 - (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
 - (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तदानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
 - (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
 - (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
 - (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती/लाल फ्लैशिंग टार्च निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

- (i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती/लाल फ्लैशिंग टार्च 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती/लाल फ्लैशिंग टार्च लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखे लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुए पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुए पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह उसी प्रकार जैसा कि क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुए बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन दिन में लाल झण्डी दिखाकर एवं रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लोको पायलट को दिखाकर सचेत करेगा/रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे— वाहन संख्या, चालक का नाम, मालिक का नाम तत्पश्चात् गेट मैन स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में पाशित (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के पाश (Lock) से चाभी 'पी-1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा बूम लॉक लीवर पर लगे 'ई' प्रकार के लॉक में चाभी 'पी-1' लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खींचने से बूमों को क्षैतिजीय स्थिति में पाशित करेगा। गेट मैन चाभी 'पी' को बूम लॉक लीवर से निकाल कर अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा। तत्पश्चात् गेटमैन, दिन के समय बाये हाथ में सिमटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी तथा दाहिने हाथ में सिमटी हुई लाल झण्डी तथा रात के समय सफेद प्रकाश वाला हैंड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी चाभी 'पी' को बूम लॉक लीवर में लगाकर घुमाएगा एवं बूम लॉक लीवर को नार्मल करेगा। दूसरी चाभी 'पी-1' बूम लॉक लीवर से निकालकर विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान :-

(I) गाड़ियों का प्रस्थान :-

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाड़ी पास होने का संभावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।
2. यह सूचना प्रस्थान सिगनल 'ऑफ' करने से पहले/लिखित प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।
3. गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं पाशित करेगा और इसकी पुष्टि स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, को गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के साथ करेगा।
4. स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, गेटमैन से इस गोपनीय संख्या की प्राप्ति के बाद ही प्रस्थान संकेतक 'आफ' करेगा/लिखित प्रस्थान प्राधिकार गाड़ी के लोको पायलट को देगा।
5. इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिए बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी सुरक्षित समपार से पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गई है।

(II) गाड़ियों का आगमन :-

1. स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, किसी गाड़ी का लाइन क्लियर स्टेशन मास्टर/बधारी कला को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत पूछेगा।
2. तब स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० इस सूचना को गेटमैन को गोपनीय संख्या के आदान प्रदान के अन्तर्गत देगा।
3. गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके अपनी गोपनीय संख्या स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, को देगा।
4. गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्त होने के बाद ही स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०, स्टेशन मास्टर/बधारी कला को गाड़ी का लाइन क्लियर देगा।

5. इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिए बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी सुरक्षित समपार से पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गई है।

नोट :- स्टेमा/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा -

स्टेशन मास्टर की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो-

- कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 स्टेशन मास्टर/बधारी कला को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
- तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बधारी कला गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जारी किये गये सतर्कता आदेश में लोको पायलट को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।
- लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ संकेत नहीं दिखायी देता है तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं है तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
- सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(जवाहर राम)
वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अजय वाष्णीय)
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अजय वर्मा)
वरिष्ठ मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

2.4 लिपिटिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता :-

1. जब लिपिटिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को पैडलॉक द्वारा लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती/लाल फ्लैशिंग टार्च समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए संरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को दिरवायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी बधारी कला के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 कार्यरत स्टेशन मास्टर/बधारी कला को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बधारी कला गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 इन्जी0 विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिपिटिंग बैरियर गेट ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इन्जी0 विभाग गेट ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 समपार फाटक पर अवरोध :-

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिपिटिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती/लाल फ्लैशिंग टार्च समपार के दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 को यदि प्रस्थान सिगनल किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित करेगा। यदि कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 ने बधारी कला को किसी गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/बधारी कला को प्राइवेट नं0 का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं0 से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

5. गेटमैन पटाखा लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर पलैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन सम्भावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे चालक का नाम, सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क वाहन या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० कार्यरत स्टेशन मास्टर/बधारी कला को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० को सूचित करेगा तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० यही सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर/बधारी कला को गोपनीय संख्या के आदान प्रदान के अन्तर्गत देगा।
10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं०/बधारी कला सभी ट्रेन के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिए संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० जिम्मेदार इन्जी० स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल इन्जी० स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/कासगंज जं० मद सं 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।